जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 13/11/2017

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने आज भूपतवाला क्षेत्र में चल नेशनल हाईवे के कार्यो तथा हाईवे निर्माण के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर किये गये अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने एनएचआई तथा स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया। मेयर श्री मनोज गर्ग तथा पत्रकार रत्नमणि डोभाल ने डीएम को अवगत कराया कि एनएच द्वारा ड्रेनेज के लिए बनाये जा रहे नाले को संकरा तथा नाले का लेवल सड़क से ऊँचा कर दिया गया है। इस पर एनएचआई के अधिकारियों ने बताया कि पहले नाला सड़क के एक ही ओर हुआ करता था तो बड़े नाले की जरूरत थी, वर्तमान कार्यो के दौरान हाईवे के दोनो ओर अंडर ग्रांउड नाला बनाया जा रहा है जिससे दबाव को संतुलित बना रहेगा। दोनो नालों पर सड़क का बरसाती पानी नाले में जाये इसके लिए खुले स्थान छोड़े जायेंगे। ताकि बरसात का पानी सड़क से नाले में चला जाये। नाले के बंद होने या भरने पर उसकी सफाई की जा सके इसके लिए जगह–जगह ढक्कन लगाये जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने हाईवे किनारे कई संस्थानों का अतिक्रमण पाया। उन्होंने किये गये किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को पन्द्रह दिन के अंदर तोड़ लिये जाने के निर्देश होटल, धर्मशाला, आश्रम संचालकों को दिये। यदि यह संस्थान अतिक्रमणीय निर्माण को नहीं तोड़ते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर चिन्हित दूरी तक के अतिक्रमण को तोड़ा जायेगा। डीएम ने कहा कि जिस भूमि को अधिग्रहण कर मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है उन सभी को हर हाल में कब्जे छोड़ने होंगे।

डीएम ने एनएच अधिकारियों को हाईवे निर्माण के कारण सड़क पर बने खतरनाक गड्ढों को भी भर लिये जाने तथा खतरनाक स्थानों पर साइनेज लगाने व पेयजल की लाइनों के कारण पेयजल की सप्लाई में बाधा न आने देने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी संगीता कन्नौजिया, पत्रकार रत्नमणि डोभाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार

जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 13/11/2017